

श्रीमान् तहसीलदार महोदय/नायब तहसीलदार महोदय,
तहसील Panipat जिला Panipat

विषय : हरियाणा निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु।

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मोबाईल नं. | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| आधार नं. | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

फोटो गोंद से
चिपकाएं

श्रीमान् जी,

निवेदन यह है कि

- मैं ved Prakash सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री Satpal गाँव/शहर Panipat वार्ड नं. 6 उम्र 34 वर्ष
तहसील Panipat जिला Panipat (हरियाणा) का/की जन्म/15 वर्षों से ज्यादा से स्थायी निवासी हूँ तथा यहाँ पर आवासीय मकान तथा घरेलूक सम्पत्ति है।
- मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
- मैंने भारत में किसी भी अन्य जगह से निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र नहीं बनवाया है।
- मुझे स्वयं या अपने सुपुत्र/सुपुत्री के लिए हरियाणा निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।
- मेरा सुपुत्र/मेरी सुपुत्री अविवाहित है तथा मेरे साथ जन्म से रहता/रहती है।
- अतः हरियाणा निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम ved Prakash सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री Satpal
गाँव/मोहल्ला Panipat वार्ड नं. 6
तहसील Panipat जिला Panipat

प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज क्रमानुसार स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ लगाएं :

- राशन कार्ड की प्रति।
- जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र।
- बोटर कार्ड/वर्तमान बोटर लिस्ट/आधार कार्ड/पासपोर्ट/फोटोयुक्त बैंक खाते की पासबुक (इनमें से कोई एक)।

स्वयं घोषणा

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री
उम्र वर्ष, जाति धर्म

गाँव/शहर वार्ड नं. तहसील

जिला शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :

1. मैं उपरोक्त वर्णित पते का/की स्थायी निवासी हूँ।
2. मैं स्वयं/प्रार्थी के लिए हरियाणा सरकार के नियम अनुसार हरियाणा आवासीय प्रमाण-पत्र के निर्धारित लाभ प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ।
3. मेरे पिता/मेरी माता के नाम से बना हुआ राशन कार्ड संख्या वोटर पहचान/आधार पत्र संख्या में मेरे सुपुत्र/मेरी सुपुत्री की उम्र वर्ष है, जो कि अविवाहित है।
4. मैंने भारत में किसी भी अन्य स्थान से आवासीय प्रमाण-पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में वर्णित तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास से सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य छिपाया या गलत व्यापारी की गई हो, मेरे खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये। यह कार्यवाही धारा 182, 415, 417 व धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अन्य सम्बन्धित कानून के तहत की जा सकती है।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

(प्रार्थी निम्न कालम स्वयं न भरें, प्रमाणितकर्ता द्वारा भरे जाने हैं)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
 उम्र वर्ष, गाँव/शहर वार्ड नं.
 तहसील जिला का/की जन्म से या 15 वर्षों से ज्यादा
 का/की स्थायी निवासी है और श्री/कुमारी प्रार्थी का सुपुत्र/की सुपुत्री है
 तथा अविवाहित है, जन्म से प्रार्थी के साथ रहता/रहती है। मैं प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।
 प्रार्थना-पत्र में लिखे गये तथ्य सही हैं।

वर्षद न. पा. सरपंच

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
 उम्र वर्ष, गाँव/शहर वार्ड नं.
 तहसील जिला का/की जन्म से या 15 वर्षों से ज्यादा
 का/की स्थायी निवासी है और श्री/कुमारी प्रार्थी का सुपुत्र/की सुपुत्री है
 तथा अविवाहित है, जन्म से प्रार्थी के साथ रहता/रहती है। मैं प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।
 प्रार्थना-पत्र में लिखे गये तथ्य सही हैं।

प्रधान अ. जा./नम्बरदार

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी सुपुत्र/सुपुत्री श्री
 उम्र वर्ष, गाँव/शहर वार्ड नं.
 तहसील जिला का/की जन्म से या 15 वर्षों से ज्यादा
 का/की स्थायी निवासी है और श्री/कुमारी प्रार्थी का सुपुत्र/की सुपुत्री है
 तथा अविवाहित है, जन्म से प्रार्थी के साथ रहता/सहती है। प्रार्थी का उपरोक्त पते पर अपना निवास/
 आवासीय मकान या पैतृक सम्पत्ति है। प्रार्थी का नाम राशन कार्ड संख्या में क्रमांक
 नं. पर दर्ज है तथा प्रार्थी का वोटर पहचान/आधार पत्र संख्या
 है। प्रमाण-पत्र दिया जाना उचित है। रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु पेश है।

पृष्ठ 4/4

मैंने ग्रार्थी के प्रार्थना-पत्र की जाँच कर ली है तथा सभी रिपोर्ट व साथ संलग्न दस्तावेजों को भी देख लिया है। सरकार की हिदायतानुसार ठीक है। ग्रार्थी को प्रमाण-पत्र जारी किया जाना अचित है।

हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र लिपिक

उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाये व सजिल्स में दर्ज किया जाये।

उपमण्डल अधिकारी (ना.)/तहसीलदार/

नायब तहसीलदार.....

(मोहर सहित)

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक..... जारी किया गया।

हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र लिपिक